

क्रमांक : 71(8)वित्त/साविलेनि/98 पाटे

जयपुर, दिनांक : 06.03.2025


आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-III में संशोधन।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-III में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

The existing item 19 of Part-II (Contingent and Miscellaneous Expenditure) of Part-III of GF&AR shall be substituted as under :-

S. No.	Nature of Power	Head of Office	Regional Office	Head of Departments	Admu. Departments	Restriction/ Conditions/ Remarks
"19.	Direct procurement of Works, Goods or Services from sources notified by the State Government u/s 6(2) of the RTPP Act and Rule 32 of RTPP Rules :					1. As per the conditions mentioned in the notification S.O.135 dated 4.9.2013 (including amendments thereto).
	(a) Public Sector Undertakings outside the State	Upto Rs. 3.00 lac per annum	Upto Rs. 5.00 lac per annum	Upto Rs. 25.00 lac per annum	Full Powers	2. The department should have financial sanction for procurement of item concerned."
	(b) Public Sector Undertakings/ Boards/ Corporations/ Autonomous Bodies situated within the State and owned & controlled by the State Government. (Note : The State PSUs/Boards/ Corporations/ Autonomous Bodies shall follow provisions of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and Rules, 2013.)	Upto Rs. 5.00 lac per annum	Upto Rs. 10.00 lac per annum	Full Powers	Full Powers	

आज्ञा से,  
  
(मनीष माथुर)  
संयुक्त शासन सचिव


—2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

  
मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR -03/2025)